

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *87

जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

इरादतन ऋण न चुकाने वालों की सूची

*87. प्रो. सौगत राय:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे चूककर्ताओं की सूची तैयार की है जो साधन संपन्न होने के बावजूद भी बैंक ऋण नहीं चुकाते हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इरादतन चूक तब होती है जब उधारकर्ता ने ऋणदाता से लिए वित्त का उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया है जिसके लिए वित्त लिया गया था या धनराशि को अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग कर लिया है या धनराशि को बेईमानी के इरादे से निकाल लिया है या अचल आस्तियों अथवा चल संपत्तियों का निपटान कर दिया है या उन्हें हटा दिया है, जबकि बैंक को इस बारे में जानकारी भी नहीं है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ड.) ऐसे चूककर्ताओं से ऋण की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“इरादतन ऋण न चुकाने वालों की सूची” के संबंध में प्रो. सौगत राय द्वारा पूछे गए दिनांक 10.2.2025 को उत्तर देने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *87 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ड.): भारतीय रिजर्व बैंक ने इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं पर कार्रवाई संबंधी मास्टर निदेश के तहत ऋणदाताओं को यह परामर्श दिया है कि वे इरादतन चूककर्ताओं की सूची सभी ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को मासिक आधार पर प्रस्तुत करें और सीआईसी को अपनी संबंधित वेबसाइटों पर उसे प्रदर्शित करना अपेक्षित है। इसका ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत और विनियमित सीआईसी के निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है और इन्हें इन पर देखा जा सकता है:

- (i) suit.cibil.com,
- (ii) suit.experian.in,
- (iii) equifax.co.in, and
- (iv) Crifhighmark.com

उपर्युक्त मास्टर निदेश में यह कहा गया है कि किसी उधारकर्ता द्वारा इरादतन चूक तब होती है जब उधारकर्ता ऋणदाता को भुगतान/चुकोती दायित्वों को पूरा करने में चूक करता है और निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक विशिष्टताओं का पता चलता है:

- (क) उधारकर्ता के पास उक्त दायित्वों को पूरा करने की क्षमता है;
- (ख) उधारकर्ता ने ऋणदाता से ऋण सुविधा के तहत प्राप्त निधियों का अन्यत्र उपयोग किया है;
- (ग) उधारकर्ता ने ऋणदाता से ऋण सुविधा के तहत प्राप्त निधियों की निकासी गलत तरीके से की हो;
- (घ) उधारकर्ता ने ऋणदाता के अनुमोदन के बिना ऋण सुविधा हासिल करने के उद्देश्य से प्रदान की गई अचल या चल संपत्ति को बेच दिया हो; और
- (ड.) उधारकर्ता या प्रवर्तक इक्विटी में निवेश करने की क्षमता होने के बावजूद इक्विटी में निवेश करने के लिए ऋणदाता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में विफल रहा हो, हालांकि ऋणदाता ने इस प्रतिबद्धता और अन्य प्रसविदाओं और शर्तों के आधार पर उधारकर्ता को ऋण या कुछ रियायतें प्रदान की हों।

बैंक उपलब्ध विभिन्न वसूली तंत्रों जैसे सिविल न्यायालयों अथवा ऋण वसूली अधिकरणों में मुकदमे दायर करना, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (एसएआरएफईएसआई) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में मामले दायर करना, बातचीत के माध्यम/समझौते के माध्यम से निपटान और अनर्जक आस्तियों की बिक्री करके इरादतन चूककर्ताओं से संबंधित खातों सहित एनपीए खातों से वसूली की कार्रवाई शुरू करते हैं।

इसके अतिरिक्त, इरादतन चूककर्ताओं से संबंधित एनपीए सहित इरादतन चूक को रोकने तथा एनपीए की वसूली के लिए व्यापक उपाय किए गए हैं। ऐसे उपायों में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) आईबीसी के कारण ऋण संस्कृति में परिवर्तन हुआ है जिससे उधारदाता-उधारकर्ता के संबंधों में मूल रूप से बदलाव हुआ है, प्रवर्तकों से चूक करने वाली कंपनी का नियंत्रण छीन लिया जाता है और इरादतन चूककर्ताओं को समाधान प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाता है।
- (ii) सरफेसी अधिनियम और ऋण की वसूली एवं शोधन अक्षमता अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इनमें संशोधन किया गया है।

- (iii) इरादतन चूककर्ताओं को बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा कोई अतिरिक्त सुविधा मंजूर नहीं की जाती है और उनकी इकाई को पांच साल के लिए नए उद्यम शुरू करने से रोक दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, इरादतन चूककर्ताओं और उन कंपनियों जिनमें प्रवर्तक/निदेशक के रूप में इरादतन चूककर्ता हैं को निधियां जुटाने के लिए पूंजी बाजार जाने पर रोक लगा दी जाती है।
- (iv) इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेश के अनुसार, बैंक पात्र मामलों में इरादतन चूककर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।
- (v) इरादतन चूककर्ताओं सहित भगोड़े अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया गया है जिसमें भगोड़े अपराधियों की संपत्ति की कुर्की और जब्ती का उपबंध किया गया है और उन्हें किसी भी नागरिक दावों में अपना बचाव करने से वंचित किया गया है।
